02/09/20 अधिवक्ताओं ... वास्ते दिनांक 28/10/20 ... Ram

28/10/20 पीठासीन अधिकारी ... अवकाश / ... / भ्रमण पर होने से दिनांक 23/12/20 को पेश हो Ram

23/12/20 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली वास्ते इन्तजार तलबी मे दिनांक 24.02.2021 को पेश हो।

24/2/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा. पत्र बाबत दुरुस्ती किये जाने प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया की उक्त उनवानी प्रा. पत्र मे संहवन से अब्दुल हमीद के वारिसान अब्दुल वहीद एवं अब्दुल सलाम को लाऔलाद होने के तथ्य अंकित हो गये जबकि अब्दुल वहीद एवं अब्दुल सलाम के वारिसान प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार बनाये गये है तथा उनका हिस्सा नही बताया गया है। उक्त अंकन प्रा. पत्र मे होना संहवन से रह गया है। उबेदुर्रहमान पुत्र अब्दुल रहमान व जमीला बी पुत्री अब्दुल रहमान जो फौत हो चुके है, उनके वारिसान का भी मपरे मे अंकन किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। उपरोक्त समस्त त्रुटीयां प्रा. पत्र मे अंकित हो गई है, जो कि संहवन से हुई है। उक्त परिस्थितियो मे प्रार्थीगण

Sd/- 24/2/21

उक्त विचाराधीन प्रा.पत्र को तकनीकी कमियों के कारण वापस लेकर नया प्रार्थना पेश करना चाहते हैं, इस कारण प्रार्थिया के उक्त प्रा.पत्र को विड्रो कर नवीन प्रा.पत्र प्रार्थिया को पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना उचित एवं न्याय संगत हैं। अतः प्रा.पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थिया के उक्त प्रा.पत्र को इसी स्टेज पर विड्रो करने एवं प्रार्थिया को नवीन प्रा.पत्र पेश करने की अनुमति प्रदान करें।

न्यायालय ने वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त त्रुटीयां सहवन से होना प्रतीत होती हैं। अतः वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र बाबत विड्रो किये जाने प्रा.पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, नवीन प्रा.पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ स्वीकार किया जाता है एवं नया प्रा.पत्र ~~स्वीकार~~ प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner